



Phone: 630.665.5000 **Fax:** 630.260.0842

spray.com

नीतियों और कार्यविधियों की नियमावली हितों के टकराव की नीति

पृष्ठ <u>1</u> का <u>4</u>

Spraying Systems Co. मानती है कि अपनी ओर से काम करने वाले सभी अधिकारियों, निदेशकों, कर्मचारियों, कॉन्ट्रैक्टर्स, एजेंट और तृतीय पक्षों को अपने दैनिक कार्यों को उन हितों के टकराव को छुपाए बिना करना चाहिए, जिनसे Spraying Systems Co के व्यावसायिक हितों से समझौता हो सकता है।

जब किसी कर्मचारी के वितीय या निजी हित संभावित या वास्तविक रूप से हस्तक्षेप करते हैं या कर्मचारी के व्यावसायिक मत में हस्तक्षेप करते हुए भी प्रतीत होते हैं, तो हितों का टकराव उत्पन्न हो सकता है।

परिभाषाएँ

जैसा कि इस नीति में प्रयुक्त किया गया है, निम्न परिभाषाएं लागू होंगी:

"हितों के टकराव" का अर्थ संभावित, वास्तविक या कथित ऐसी कोई भी परिस्थिति होगी, जिसके कारण कर्मचारी अपने वितीय या निजी हितों को कंपनी के हितों से ऊपर रख सकता या सकती हो, वह कर्मचारी अपने व्यावसायिक निर्णयों, फ़ैसलों और कार्रवाइयों में पक्षपातपूर्ण हो सकता या सकती है या पूरी तरह से कंपनी के हितों के आधार पर किए उनके किसी भी फ़ैसले पर संदेह किया जा सकता है।

"कर्मचारी" का अर्थ ऐसा कोई भी अधिकारी, निदेशक, कर्मचारी, एजेंट या तृतीय-पक्ष संविदाकार होगा, जो कंपनी की ओर से कार्य करता हो।

"मूल वितीय हित" का अर्थ, कर्मचारी का ऐसा कोई भी वितीय हित होगा, जो कंपनी के व्यवसाय के संचालन के दौरान कर्मचारी के निर्णय या कार्रवाई को प्रभावित करते हों, या दूसरों को प्रभावित करते हुए लगते हों। यहाँ स्पष्ट रूप से ऐसी किसी भी कंपनी का स्वामित्व या उसके तीन प्रतिशत (3%) का मालिक होना शामिल है, जो Spraying Systems Co. के साथ व्यवसाय करती हो, या ऐसी किसी कंपनी से कर्ज़ लेती हो या उसे कर्ज़ देती हो।'

कंपनी का कोई भी अधिकारी, कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्य अनुपालन अधिकारी की स्वीकृति के बिना, मूल वित्तीय हित के साथ, या इसमें, किसी दूसरे व्यावसायिक उद्यम के साथ, किसी भी पद (उदा. रोज़गार, निदेशक मंडल 'नियुक्ति' या परामर्शदाता या सलाहकार के रूप में कार्य नहीं करेगा), चाहे उस पद या हित के परिणामस्वरूप संभावित हित का टकराव उत्पन्न हो या न हो।



Phone: 630.665.5000 Fax: 630.260.0842

spray.com

नीतियों और कार्यविधियों की नियमावली हितों के टकराव की नीति

पृष्ठ <u>2</u> का <u>4</u>

कंपनी का कोई भी अधिकारी, मुख्य अनुपालन अधिकारी ("CCO") की स्वीकृति के बिना, मूल वितीय हित के साथ, या इसमें, किसी दूसरे व्यावसायिक उद्यम के साथ, जो Spraying Systems Co. का संभावित या वास्तविक व्यावसायिक भागीदार हो या प्रतिस्पर्धी हो, किसी भी पद (उदा. रोज़गार, निदेशक मंडल 'नियुक्ति' या परामर्शदाता या सलाहकार के रूप में कार्य नहीं करेगा)।

कर्मचारियों (निदेशकों के अलावा) को ऐसे किसी भी बाहरी पद या मूल वितीय हित को मुख्य अनुपालन अधिकारी को हित के टकराव का प्रपत्र देकर जाहिर करना होगा, जो इस निषेध का उल्लंघन लगे या कथित रूप से उल्लंघन लगे।

हितों के टकराव की परिस्थितियाँ

हित का टकराव ऐसी परिस्थितियों में उत्पन्न हो सकता है, जहां Spraying Systems Co. और व्यक्तियों, फ़र्म या व्यावसायिक संगठनों के बीच लेनदेन हो; निजी संबंध हो; ऐसे निजी लाभ या बढ़त का अवसर हो, जो कंपनी के हित का हो; कंपनी के व्यवसाय से संबंधित आंतरिक जानकारी के परिणाम स्वरूप निजी वित्तीय लाभ या फ़ायदा मिलता हो।

<u>आवश्यकताएँ</u>

संभावित टकराव की पहचान होने पर, कर्मचारी को तुरंत को सीईओ या मानव संसाधन के निदेशक को लेनदेन की सूचना देनी चाहिए। फिर सीईओ या मानव संसाधन के निदेशक को लेनदेन जारी रखने के लिए लिखित बढ़त देनी चाहिए।

उदाहरण:

निजी वितीय लाभ: कर्मचारियों को ऐसे किसी भी मूल वितीय हित या निदेशक, अधिकारी, कर्मचारी या परामर्शदाता जैसे पद की जानकारी को प्रकट करना ज़रूरी है जिस पर या तो कर्मचारी या कोई संबंधी (उदा. जीवनसाथी या रिश्तेदार) उस एंटरप्राइज़ में नियुक्त है, जो Spraying Systems Co. के साथ व्यावसायिक संबंधों या समझौतों में सहभागी है।



Phone: 630.665.5000 Fax: 630.260.0842

spray.com

नीतियों और कार्यविधियों की नियमावली हितों के टकराव की नीति

पृष्ठ <u>3</u> का <u>4</u>

रिशतेदारों को लाभ: जब कोई कर्मचारी Spraying Systems Co. के ऐसे व्यावसायिक लेनदेन में शामिल होता है, जिसके कारण कर्मचारी के रिश्तेदार को लाभ हो।

निजी संबंध: प्रत्येक कर्मचारी को ऐसे निर्णयों में शामिल नहीं होना चाहिए, जिसमें कर्मचारी के निजी संबंध हो जिसके कारण कर्मचारी Spraying Systems Co. के श्रेष्ठ हित में पक्षपात करके या विरुद्ध जाकर कार्य करे।

कॉपॅरिट अवसर: प्रत्येक कर्मचारी को कॉपॅरिट व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाने से दूर रहना चाहिए या जब उसे पता हो, या उसे पता होना चाहिए कि ऐसे अवसर Spraying Systems Co. के हित में है, तो उसे किसी दूसरे व्यक्ति को भी फायदा लेने के लिए उकसाना नहीं चाहिए।

<u>आंतरिक जानकारी</u>: आंतरिक जानकारी ऐसी कोई भी जानकारी होती है, जो कर्मचारी कंपनी के साथ अपने रोज़गार के दौरान प्राप्त करता है जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होती है (जैसे, आंतरिक विक्रय डेटा या मालिकाना तकनीकी जानकारी)। प्रत्येक कर्मचारी को अपने निजी लाभ के लिए या ऐसे किसी भी तरीके से आंतरिक जानकारी का उपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे कंपनी को नुकसान पहुंचे या नुकसान होता हुआ दिखे। प्रत्येक कर्मचारी को ऐसी आंतरिक जानकारी ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति को भी नहीं देनी चाहिए, जिसका कंपनी के उसके आधिकारिक उत्तरदायित्व से संबंध न हो।

उपहार: प्रत्येक कर्मचारी और उसके संबंधियों को ऐसे किसी भी भुगतान उपहार, मनोरंजन या अन्य सहायता को स्वीकार नहीं करना चाहिए जो सामान्य तौर पर व्यावसायिक व्यवहार से जुड़े आम शिष्टाचार से परे हो और इससे ऐसा लगे कि आप खुद को तृतीय पक्ष को कंपनी के साथ समझौता करने या समझौते की इच्छा करने के लिए दबाव डाल रहे हों। सामान्य रूप से, यह नीति Spraying Systems Co. के कर्मचारियों को व्यावसायिक भागीदारों से सस्ते और उचित उपहार, यात्रा और मनोरंजन (उदा. प्रबंधक की अनुमित से \$250 से कम कीमत के उपहार) स्वीकार करने की अनुमित देती है, हालांकि उन्हें नकद या नकद के समान कुछ भी स्वीकार करने और व्यवसाय को किसी और कंपनी की तरफ ले जाने या दिलाने के बदले में उपहार मांगने की मनाही है।



North Avenue and Schmale Road, P.O. Box 7900 Wheaton, IL 60187-7901 USA

Phone: 630.665.5000 **Fax:** 630.260.0842

spray.com

नीतियों और कार्यविधियों की नियमावली हितों के टकराव की नीति

पृष्ठ <u>4</u> का <u>4</u>

प्रतिशोध

Spraying Systems Co. उस किसी भी कर्मचारी के खिलाफ़ प्रतिशोध को रोकता है, जो नेकनीयत से कथित उल्लंघन की शिकायत करता है या जांच में भाग लेता है। संदिग्ध प्रतिशोध की शिकायत तुरंत मानव संसाधन से की जानी चाहिए।

कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पद पर हो, जिसे कंपनी ने नियुक्त किया है, अगर वह नीति उल्लंघनों की शिकायत के लिए प्रतिशोध के व्यवहार में लिप्त पाया जाता है, तो उसे दंड दिया जाएगा, जिसमें उसे नौकरी से भी निकाला जा सकता है।

उल्लंघनों की किसी भी शिकायतों को जांच प्रक्रिया के दौरान उसी तरह माना जाएगा, जैसे वे नेकनीयत से की गई हों। अगर जांच प्रक्रिया से यह तय होता है कि शिकायत बुरी नीयत से की गई है, तो शिकायत करने वाले कार्मिक पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें उसे नौकरी से भी निकाला जा सकता है और उसे वह पैसे भी चुकाने पड़ सकते हैं, जो जांच प्रक्रिया पूरी करने के लिए कंपनी ने खर्च किए हैं।